



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ थाना नरैनी पुलिस द्वारा व्यक्ति को चाकू से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- ❖ अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर हत्या के प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर सहित कई मामलें है दर्ज।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों कि गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.10.2026 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा व्यक्ति को चाकू से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 29.06.2026 को थाना नरैनी क्षेत्र के कस्बा नरैनी के रहने वाले राहुल द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 26.06.2026 को थाना नरैनी क्षेत्र के ही रहने वाले रवि द्वारा घर में घुसकर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सूचना प्राप्त होते ही थाना नरैनी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को कच्ची सड़क तिराहा थाना नरैनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसपर पूर्व में गैंगस्टर सहित कई मामलें दर्ज है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवि पुत्र रामचन्द्र निवासी राजनगर कस्बा नरैनी थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 159/26 धारा 109(1)/333/352/351(3) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।

अपराधिक इतिहास रवि-

1. मु0अ0सं0- 159/26 धारा 109(1)/333/352/351(3) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 01/26 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 142/25 धारा 109/305/313/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 87/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नरैनी श्री भास्कर मिश्रा
2. अपराध निरीक्षक नरैनी श्री अर्जुन सिंह
3. हे0कां0 नागेश कुमार
4. कां0 अजय यादव
5. कां0 सुनील कुमार